

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

गृह विर्माणार्थ अनुमति-पत्र

यह अनुमति केवल ल०४५० नगर नियोजन तथा तिकास अधिनियम १९७३ ली धरा १४ व १५ के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ सह न समझना चाहिये कि उस भूमि के राष्ट्रभूमि में जिस पर भवान बने इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निलाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकना उपिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के उपिकारों ले पिछल कोई प्रभाव न रखेगी।

निम्नलिखित प्रतिबन्धों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्रीमती/श्री प्रभास रेणु चौधरी वा
उपर्युक्त पता/पति का नाम श्री मार्ग चौधरी पर उपलब्ध है।

में नवशे में दर्शित स्थान पर जो प्रार्थना-पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये हैं, सचिव के चिन्हित भ्रमन चित्र
के अनुसार निर्गमण अथवा पुनः निर्माण कर्त्तव्य का


संयुक्त सचिव/प्र०३०-भवन
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
ठ. इलाहाबाद।

三

1. यह रवैकृत पत्र केवल पांच वर्ष की अवधि के लिए है। यदि भगवन् जा निर्माण स्त्रीकृत मननिकृत के अनुसार नहीं किया जाता है तो उसे गिरवाया जा सकता है। जिसका पूर्ण अध भार प्रार्थी पर होगा। यदि कोई इमारत यिना साचिव विकास प्राधिकरण की अनुनति मान किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगी तो उसके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जायेगा अथवा इस प्रकार की यह अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा तथा राधिव विकास प्राधिकरण द्वारा इटवा दिया जायेगा और उसके हटाने के सर्व का भार उस इनारत बनवाने वाले से '० प्रतिशत संग्रह शुल्क के साथ पूरा किया जायेगा।
 2. इस अनुमति-पत्र में सहज, गली धा नाली पर चढ़ा कर प्रोजेक्शन जैसे कि पोर्टिको, बारजा, तोड़गा, सीढ़ी, आप नवे अश्वा पुराने निर्माण को ठोकाकर उस जगह फिर से नवे निर्माण की स्त्रीकृति चाहे उसके साथ नवरो में दिखाई न हो, नहीं प्रदान की जायेगी।
 3. मकान निर्माण से यदि नाली के सहज की पटरी अथवा रुक या नाली के किसी गांग (जो मकान के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण उक गई हो) को हानि पहुँचे तो गृहस्थामी तैयार हो जाने पर '५ घिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा आर शीघ्र कहा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से नियमत कराकर पूर्णता अवध्या जिससे विकास प्राधिकरण को सन्तोष हो जाय, मैं कर देगा।
 4. गृह निर्माण के सम्बन्ध में इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इंडियन इलेक्ट्रिसिटी लॉस 1965) नियम ४२ का उल्लंघन मिली भी दशा मैं न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी मैं ऐसे गांगले पथे गये तो यह ऐसे निर्माण को रोक अपवा हटवा सकता है।
 5. प्रार्थी को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को गलवान की नींव तल तथा छत तल का जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी ला नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण मैं मकान निर्मित हुआ है।
 6. यदि निर्माण मैं मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया हो तो निर्माणकर्ता को दी गई स्त्रीकृति रद समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनुदिकृत धोवित कर उस अधिनियम की धारा 27 (j) के अन्तर्गत कर्यवाही असम की जायेगी।

TABLE-1 AREA STATEMENT

TABLE I - AREA STATEMENT		AREA IN SQM
S	DESCRIPTIONS	
N	TOTAL PLAT AREA	695.00
1	SUBDIVIDING MEDIUM AREA	14.95
2	NEAR POOL AREA	562.50
3	PROP COVED AREA AT BASEMENT FL (FOR STORE)	266.07
4	PROP COVED AREA AT STILT G. (FOR PARKING)	268.13
5	PROP COVED AREA AT TIPPER FLOOR	239.50
6	PROPOSED COVERED AREA ON SECOND FLOOR	236.88
7	PROPOSED COVERED AREA ON THIRD FLOOR	247.16
8	TOTAL MAMTY / LIFT MC ROOM AREA	705.73
9	B. PROVIDED GROUND COVERAGE (40 % OF N.P.A.)	266.88
10	B. PROVIDED GROUND COVERAGE	40.70
11	B. PROVIDED GROUND COVERAGE (40 % OF N.P.A.)	70.14
12	B. PROVIDED GROUND COVERAGE	14.95



SITE PLAN (SCALE-1:200)

POSED NURSING HOME BUILDING PLAN	
MOMOH MEDICAL AND RESEARCH CENTRE	
TD-1 ON PART OF HOUSE NO-97 OLD & (NEW) MURADAB, A- STANLEY ROAD, SADR, ALLAHABAD	
NO.	HMC/RPR-08/15/UN-10
ET NO.	1
E-	A'
	11:00
	JUN 10
	NORTH

1100000 LEVEL

